



सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त का कार्यालय, केंद्रीय राजस्व भवन,
क्वीन्स रोड, बेंगलूर 560001
OFFICE OF THE CHIEF COMMISSIONER OF CUSTOMS
BENGALURU ZONE; C.R. BUILDING: QUEEN'S ROAD:
BENGALURU- 560 001
Tel: 080-22867990/22863714 FAX: 080-22862419/22868795
E-mail: ccu-cusblr@nic.in



सी. सं. C.No. VIII/48/154/202c-CCO-III BZ

दिनांक/Date: 01.07.2020

लोक सूचना सं.१/२०२० PUBLIC NOTICE No.9/2020

[द.प.सं DIN - 20200772MR00004U8E79]

विषय : नवीकरण कार्रवाई को सुगम बनाने के लिए ए.ई. ओ.प्रमाण पत्र अवधि को बढ़ाने के संबंध में ।
Subject: Extension of validity of AEO certificates for ease of renewal process-reg.

सीमा शुल्क के दिनांक 22.07.2016 के परिपत्र सं 33/2016 के पैरा 5.1 का संदर्भ लें जो सीमा शुल्क के दिनांक 17.1.2018 के परिपत्र सं 03/2018 के पैरा viii द्वारा संशोधित किया गया जो ए.ई. ओ.प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित है और उसको निम्न प्रकार पढ़ें ।

Reference is drawn to Para 5.1 of Circular No. 33/2016-Customs dated 22.07.2016 amended vide para viii of Circular No. 03/2018-Customs dated 17.01.2018, which relates to "Validity of AEO certificate" and read as-

"ए.ई.ओ टी 1 एवं ए.ई.ओ टी 2 के संबंध में ए.ई.ओ प्रमाण पत्र की मान्यता 3 वर्ष के लिए और ए.ई.ओ टी 3 एवं ए.ई.ओ टी -एल ओ के संबंध में 5 वर्ष है। The validity of AEO certificate shall be three years for AEO-T1 and AEO-T2, and five years for AEO-T3 and AEO-LO"

2. बोर्ड के दिनांक 30.6.2020 के परिपत्र सं 31/2020-सीमा शुल्क द्वारा नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त ए.ई.ओ को छोड़कर दिनांक 01.3.2020 और 30.09.2020 एवं 30.09.2020 के बीच की अवधि में समाप्त / समाप्त होनेवाले सभी ए.ई.ओ मान्यता प्रमाण पत्रों की अवधि को बढ़ाने के लिए निर्णय लिया है। Board vide Circular No. 31/2020-Customs dated 30.06.2020 has decided to extend the validity of all the AEO certificates expired/expiring between 01.03.2020 and 30.09.2020 to 30.09.2020, except for those entities against which a negative report is received during this period.

3. सभी वयापर संगठनों से अनुरोध किया जाता है कि उक्त सुविधा को उसके लाभ/ सुविधा को प्राप्त करने हेतु अपने सदस्यों को सूचित करें। All the Trade Associations are requested to Communicate the above to the notice of their Members for claiming the benefit / facilitation.

4. इस संबंध में कोई तकलीफ/शंका हो तो संबंधित उसको ए.ई.ओ हेल्प डेस्क में ई मेल द्वारा निम्नलिखित ई मेल पता ccu-cusblr@nic.in या दूरभाष सं.080-22863075 में संपर्क कर सकते हैं। Difficulties/doubts in this regard, if any, the concerned may email to AEO Helpdesk:ccu-cusblr@nic.in or contact 080-22863075

5. यह मुख्य आयुक्त महोदय के अनुमोदन के साथ जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of the Chief Commissioner.

A. Kulkarni

(अनिरुद्ध एस कुलकर्णी / ANIRUDHA.S.KULKARNI)

संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का) / JOINT COMMISSIONER (CCO)

To,
All concerned.

Copy to:

1. The Pr. Commissioner/Commissioner of Customs, Airport & ACC/City Customs/Mangaluru.
2. The ADC/JC, Appraising(Import), Airport & ACC/City Customs/Mangaluru.
3. The EDI Section – for publication in Bengaluru Customs website
4. Notice Board.